प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 36 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002

दिनांकः अगस्त 28 ,2024

विषयः- विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2506/2024 अश्वनी कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.08.2024 के क्रम में अभियुक्तों का त्रुटिहीन आपराधिक इतिहास मा0 न्यायालयों के समक्ष उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

माननीय न्यायालयों में अभियुक्तों का सम्पूर्ण एवं त्रुटिरहित आपराधिक इतिहास उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश इस मुख्यालय स्तर से परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये है, किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

डीजी परिपत्र सं0 - 04/2024 दि0- 19.01.2024
डीजी परिपत्र सं0 - 24/2023 दि0- 02.11.2021
डीजी परिपत्र सं0 - 42/2021 दि0- 02.11.2021
डीजी परिपत्र सं0 - 40/2015 दि0-25.05.2015

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2506/2024 अश्वनी कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अपने आदेश दिनांकित 12.08.2024 में अभियुक्त अश्वनी कुमार के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा 05 आपराधिक प्रकरण दर्शाते हुये आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उल्लिखित 04 अभियोगों में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी थी। मा0 न्यायालय ने ऐसे प्रकरण जिनमें अंतिम रिपोर्ट लगायी जा चुकी हो, को आपराधिक इतिहास के रूप में प्रस्तुत करने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थिति रहने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत मौखिक टिप्पणी की गयी–

" The Hon'ble Supreme Court summoned the said DySP for making an incorrect statement in the Counter affidavit. A personal apology has been fied by the DySP in the matter The Hon'ble Court orally observed that in many cases of the State of UP, criminal antecedents are given by the police officers on affidavit of of the the State without revealing the current status of such cases, thereby misleading the Hon'ble Court. In view thereof,

the Hon'ble Court has thereafter orally directed the State of UP to place on record before the Hon'ble Court the following-

1- Whether the digital records maintained by the State of UP have a mechanism to show the criminal antecedents of a criminal?
2- Whether the status of such crimes on the state portal are regularly updated or not?
3- Whether there are any instructions issued to the various Police Stations of the State that require the officers who file any affidavit before any Court of law in any case, to place on record the criminal antecedents of the accused alongwith the latest status update of such antecedents?

Further, the Hon'ble Supreme Court had orally observed that in many cases involving the State of Uttar Pradesh, the criminal antecedents of accused persons were mentioned without giving the current status pending or whether the accused was acquitted of such

.....2

antecedents, whether the cases are or whether the accused was convicted, etc. The Hon'ble Supreme Court was pleased to direct the L.d. Additional Advocate General of the State of Uttar Pradesh, Mrs. Garima Prashad, Senior Advocate, to get instructions from the State of Uttar Pradesh on a mechanism to rectify the same, and also whether the database maintained with the State of Uttar Pradesh regarding the status of cases filed against an accused is periodically updated or not."

आप सहमत होंगे कि अभियुक्तों का सम्पूर्ण एवं त्रुटिरहित आपराधिक इतिहास मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने से न्यायालय के समक्ष राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने वाले विधि अधिकारियों की स्थिति असहज होती है तथा अभियुक्त इन त्रुटियों का लाभ लेते हुए न्यायालय से जमानत प्राप्त करने में सफल रहते है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालय में प्रस्तरवार आख्या के साथ प्रेषित किये जाने वाले आपराधिक इतिहास में अंकित किये गये सभी आपराधिक प्रकरणों की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर उसका उल्लेख आपराधिक इतिहास में अवश्य किया जाए। सीसीटीएनएस / डीसीआरबी से प्राप्त आपराधिक इतिहास के रूप में प्राप्त की गयी अभियोगों की सूची को बिना अद्यतन स्थिति ज्ञात किये तथा सत्यापित किये किसी भी दशा में यंत्रवत मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जाए।

अभियुक्तों का त्रुटिहीन आपराधिक इतिहास मा0 न्यायालयों में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत परिपत्रों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि भविष्य में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से सम्बंधित है, अतः समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

28.6.21.

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।